अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भूहदबंदी अपील सं0– 01/2009

बिगनी देवी

बनाम

लालबहादुर राय एवं तिलक राय

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
24.09.2015	यह वाद बिगनी देवी, पति बलिराम राय, साकिन साधपुर बल्ली, पो0–लेजुआर, अंचल जलालपुर, थाना–कोपा, जिला–सारण के द्वारा लाल बहादुर राय, पिता स्व0 नरेश राय एवं तिलक राय, पिता पराउ राय, दोनों साकिन साधपुर बल्ली, पो0–लेजुआर, अंचल जलालपुर, थाना–कोपा, जिला–सारण के विरूद्ध दिए गए आवेदन दिनांक 13.05.2009 के आलोक में आरंभ हुआ। आवेदिका के द्वारा दाखिल उक्त आवेदन में अंकित किया गया है कि वे एक गरीब एवं भूमिहीन महिला है एवं विपक्षीगण असामाजिक तत्व हैं। बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 27(ए) के अंतर्गत मौजा साधपुर खाता संख्या 2, खेसरा संख्या 137, रकबा 58 डी0 की जमीन की बन्दोबस्ती आवेदिका के नाम से की गई एवं उन्हें इसका पर्चा निर्गत किया गया। आवेदिका के द्वारा उक्त जमीन की बन्दोबस्ती के समय से नियमित रूप से राजस्व लगान सरकार को दिया जा रहा है। आवेदिका के द्वारा अपने आवेदन में आगे अंकित किया गया है कि विपक्षियों के द्वारा उन्हें जबरदस्ती एवं गैरकानूनी तरीके से उक्त जमीन से बेदखल कर दिया गया है एवं एक महिला होने की वजह से वे उनका प्रतिरोध नहीं कर सकी। उक्त जमीन को आवेदिका के द्वारा अपने एवं अपने परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा बताते हुए इसका दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया है। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.09.2009 को सुनवाई के उपरान्त विपक्षी को नोटिस निर्गत करने एवं अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा से एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करने का आदेश किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 1794, दिनांक 10.10.2009 से अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गई एवं इस न्यायालय के ज्ञापांक 37/प्रो0, दिनांक 10.10.2009 के द्वारा विपक्षियों को नोटिस निर्गत किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की वजह से इस न्यायालय के ज्ञापांक 1963/विधि, दिनांक 31.10.2009, ज्ञापांक 2266/विधि, दिनांक 07.12.2009, ज्ञापांक 142/न्या0/दिनांक	

10.03.2015, ज्ञापांक 438/न्या0/ दिनांक 03.07.2015 एवं पत्रांक 456/न्या/दिनांक 13.07.2015 के द्वारा उन्हें स्मारित किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के पत्रांक 1922, दिनांक 16.07.2015 के साथ अंचल अधिकारी, जलालपुर के प्रतिवेदन (पत्रांक 700,दिनांक 14.07.2015) को संलग्न कर अपने मंतव्य के साथ प्रेषित किया गया।

इस न्यायालय के ज्ञापांक 645/न्या0/दिनांक 17.09.15 के द्वारा विपक्षियों को नोटिस निर्गत करके अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.09.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षियों के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया।

दिनांक 24.09.2015 को उभय पक्षों की हाजरी प्राप्त हुई। दोनों अपने विज्ञ अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि बिहार भूहदबंदी वाद अधिनियम 1961 की धारा 27(ए) के अंतर्गत मौजा साधपुर खाता संख्या 2, खेसरा संख्या 137, रकबा 58 डी0 कीं जमीन की बन्दोबस्ती आवेदिका बिगनी देवी पति बलिराम राय, साकिन साधपुर बल्ली, पो0–लेजुआर, अंचल जलालपुर, थाना–कोपा, जिला– सारण के नाम से की गई एवं उन्हें इसका पर्चा निर्गत किया गया। आवेदिका को विपक्षियों के द्वारा गैरकानूनी तरीके से उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया है। आवेदिका को उक्त भूमि का दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया।

विपक्षियों के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बी0एल0डी0आर0 कानून के अनुसार कोई भी भूमि विवाद डी0सी0एल0आर0 के यहां ही देखा जाना है। सरकारी योजना के तहत् बहुत से लोगों को अच्छी तरह से जांच किए बिना पर्चा निर्गत किया गया। किसी भी पर्चाधारी का न तो पर्चा निर्गत किए गए जमीन पर पूर्व से दखल कब्जा था और न ही बाद में इस पर दखल कब्जा हो सका। प्रासंगिक भूमि से संबंधित वाद डी0सी0एल0आर0 के यहां भी 31/2011 चला था। वहां विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर वाद समाप्त हो गया। विपक्षीगण बी0पी0एल0 कार्डधारी है, जबकि आवेदिका बी0पी0एल0 कार्डधारी नहीं है एवं पर्चा के अंतर्गत जमीन पाने के लिए आवश्यक शर्तो को भी पूरा नहीं करती है। उन्हें निर्गत पर्चा अपने आप में जांच का विषय हैं।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि प्रासंगिक जमीन महंथ मेथी भगत की थी; विपक्षीगण के पिता महंथ मेथी दास के यहां काम करते थे। मवेशी चराते थें एवं खेत में हल जोतते थे। इनकी सेवा में खुश होकर महंथ मेथी भगत के द्वारा रामनरेश राय एवं पराउ राय को बिना नजराना लिए लगान मोकरर करके उक्त जमीन बन्दोबस्त कर दिए तथा सबूत में याददाश्त का कागज बना दिए। 1935 से, यह जमीन इनके कब्जा में है। आवेदिका का इस पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वे इसकी हकदार नहीं थी। आवेदिका के द्वारा अपने आवेदन में भूमि बेदखली की तारीख अंकित नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे मनगढल बातें कर रही है। अतः इनके आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी,जलालपुर के प्रतिवेदन पत्रांक 700,दिनांक 14.07.15 एवं अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के पत्रांक 1922 दिनांक 16.07.15 के द्वारा प्रेषित

प्रतिवेदन के परिसीलन से स्पष्ट है कि विपक्षोगण के द्वारा आवेदिका को उनकी जमीन से बेदखल कर उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। आवेदिका के आवेदन के आलोक में आदेश पारित किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूँ कि अंचल अधिकारी, जलालपुर के पत्रांक 700, दिनांक 14.07.15 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 1922, दिनांक 16.07.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा साधपुर बल्ली, थाना संख्या 188, खाता संख्या 2, खेसरा संख्या 137, रकबा–0.58 डी0 जमीन बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अतिरेक भूमि है, जिसकी बन्दोबस्ती आवेदिका को की गई है। बन्दोबस्ती पर्चा के अनुसार, इसकी जमाबंदी संख्या 639 बिगनी देवी के नाम पर कायम है, जिसमें वर्ष 2014–2015 तक लगान वसूल है। उक्त भूमि भूहदबंदी के अंतर्गत कुमना मठ से अधिग्रहित है। स्थानीय जांच के क्रम में, विपक्षीगण लालबहादुर राय, वल्द स्व0 रामनरेश राय एवं तिलक राय, वल्द स्व0 पराउ राय, साकिन साधपुर बल्ली के द्वारा कोई भी कागजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका और न ही अपने जवाब के साथ ही उनके द्वारा ऐसा कोई कागजात संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण के द्वारा बलपूर्वक आवेदिका की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी,जलालपुर को उक्त निर्धारित तिथि को आवेदिका को दखल कब्जा दिलाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को निर्देश है कि वे उक्त कार्य के लिए एक तिथि निर्धारित कर एक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा,अंचल अधिकारी, जलालपुर से प्राप्त अभियाचना के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत् निर्धारित तिथि को पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक 30.10.2015 तक उक्त आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 467 /न्या0, दिनांक 24/09/2015

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी,जलालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
24/09/15